

बिहार सरकार  
वित्त विभाग

संकल्प

विषय :- राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में दिनांक-01.01.2016 के बाद के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को पुनरीक्षित पेंशन की स्वीकृति के संबंध में ।

वित्त विभागीय संकल्प संख्या-381, दिनांक-23.05.2017 द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के अनुरूप राज्य सरकार के पेंशनभोगियों का औपबंधिक पेंशन पुनरीक्षण किया गया है । अब राज्य वेतन आयोग द्वारा पेंशन के संबंध में अपनी अनुशंसा राज्य सरकार को सौंप देने के पश्चात उसके आलोक में विस्तृत आदेश निर्गत किया जा रहा है ।

2. राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में पूर्ण विचारोपरान्त दिनांक 01.01.2016 के बाद के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण हेतु निम्न निदेश निर्गत किया जाता है:-

(i) दिनांक-01.01.2016 के बाद सेवानिवृत्त/मृत कर्मी को वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3590, दिनांक-24.05.2017 के आलोक में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित वेतन के आधार पर पेंशन का निर्धारण किया जायगा, परन्तु दिनांक-31.03.2017 तक मात्र वैचारिक निर्धारण का लाभ देय होगा । वित्तीय लाभ दिनांक-01.04.2017 के प्रभाव से देय होगा ।

(ii) पेंशन की राशि- पेंशन की राशि अंतिम मूल वेतन अथवा अंतिम दस माह के औसत वेतन (जो अधिक हो) का 50 प्रतिशत के रूप में निर्धारित होगी जिसे सेवानिवृत्ति की तिथि को पूर्ण पेंशन हेतु अर्हक सेवावधि के आधार पर आनुपातिक रूप से कम किया जा सकेगा । पेंशन की उपरी सीमा राज्य के उच्चतम वेतन का 50 प्रतिशत होगी ।

(iii) परिवार पेंशन- परिवार पेंशन की राशि अंतिम मूल वेतन का 30 प्रतिशत के रूप में निर्धारित होगी । परिवार पेंशन की उपरी सीमा राज्य के उच्चतम वेतन का 30 प्रतिशत होगी ।

(iv) न्यूनतम पेंशन- दिनांक-01.04.2017 के प्रभाव से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम राशि ₹0 9,000 (नौ हजार) (अतिरिक्त पेंशन को छोड़कर) प्रतिमाह होगी ।

(v) मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान- दिनांक-01.04.2017 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतन के आधार पर रू0 20.00 (बीस) लाख की अधिसीमा में मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान का लाभ देय होगा ।

3. अतिरिक्त पेंशन- 80 वर्ष एवं इससे अधिक उम्र के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन के भुगतान की वर्तमान व्यवस्था यथावत निम्न रूप में जारी रहेगी:-

<u>पेंशनधारी/परिवार पेंशनधारी की उम्र</u>	<u>अतिरिक्त पेंशन की राशि</u>
80 वर्ष एवं अधिक किन्तु 85 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 20%
85 वर्ष एवं अधिक किन्तु 90 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 30%
90 वर्ष एवं अधिक किन्तु 95 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 40%
95 वर्ष एवं अधिक किन्तु 100 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 50%
100 वर्ष या उससे अधिक	मूल पेंशन का 100%

4. चिकित्सा भत्ता- पेंशनर/परिवार पेंशनरों को चिकित्सा भत्ता के रूप में वह राशि अनुमान्य होगी जो राज्य के सेवारत कर्मियों के संदर्भ में सरकार द्वारा लागू की जायेगी ।

5. वित्त विभागीय संकल्प संख्या-819/820, दिनांक-23/09/2009 के अन्य प्रावधान यथावत लागू रहेंगे ।

6. पेंशन वितरण प्राधिकार द्वारा पुनरीक्षित पेंशन/परिवार पेंशन की प्रविष्टि पी0पी0ओ0 के दोनों आदर्शों में की जायेगी और पुनरीक्षित पेंशन/परिवार पेंशन के भुगतान की सूचना महालेखाकार, बिहार को भेजी जायेगी ।

7. पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/परिषद् कार्यालय के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों/सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित कार्यालय/सचिवालय द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा ।

आदेश - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ज्ञापांक: वि० (27)पे०को०-(पुन०)22/2017 पटना, दिनांक:  
प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार/महानिबंधक, पटना उच्च  
न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/परिषद को सूचना एवं आवश्यक  
कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-


( राहुल सिंह )  
सचिव (व्यय) ।

ज्ञापांक: वि० (27)पे०को०-(पुन०)22/2017 पटना, दिनांक:  
प्रतिलिपि: सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय  
आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी  
पेंशन प्रदायी बैंक को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(राहुल सिंह)  
सचिव (व्यय) ।

ज्ञापांक: वि० (27)पे०को०-(पुन०)22/2017 <sup>754</sup> पटना, दिनांक: 20-10-17  
प्रतिलिपि: प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग/सिस्टम  
एनालिस्ट, वित्त विभाग/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग को  
सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
(राहुल सिंह)  
सचिव (व्यय) ।

(M.B.)  
20-10-17


बिहार सरकार  
कृषि विभाग

ज्ञापांक-3/कृ०-बजट-विविध- 85/2015 4470 /कृ०, पटना, दिनांक: - 16-11- 2017

**Fax/Mail**

प्रतिलिपि :-कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान/निदेशक भूमि संरक्षण/निदेशक बामेति /निदेशक पी०पी०एम०/प्रबंध निदेशक बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी/सभी संयुक्त निदेशक (शष्य)/नियंत्रक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर/नियंत्रक राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर/सभी जिला कृषि पदाधिकारी।/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी /सभी सहायक निदेशक (शष्य) बीज बीश्लेषण प्रयोगशाला/सभी उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र/उप निदेशक (शष्य) शिक्षा, बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण बिहार, पटना/ उप निदेशक (शष्य) तेलहन बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) सूचना बिहार, पटना/ उप निदेशक (शष्य) पाट कृषि निदेशालय बिहार, पटना/ संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट बिहार, पूर्णियाँ/ अपर निदेशक (शष्य) कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/ संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण)/ सभी सहायक निदेशक, (पौधा संरक्षण)/ सभी उप निदेशक (पौधा संरक्षण)/ संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण)/उप निदेशक (रसायन) कम्पोष्ट बिहार, पटना/सभी सहायक निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला/प्रशासी-सह-लेखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कृषि विभाग/कृषि निदेशालय/मुख्य लेखा पदाधिकारी कृषि विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि वित्त विभागीय संकल्प संख्या:-वि० (27)पे०को०-(पुन०) 22/2017-754 दिनांक-20.10.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

  
(प्रभु राम) 16/11/17

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 4470

/कृ०, पटना, दिनांक: - 16-11- 2017

प्रतिलिपि :- उप निदेशक (शष्य) सूचना/आई-टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल भेजने हेतु प्रेषित।



  
निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।